कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांकः 14 /07/2022

क्रमांक/593 /168/आउशि/योजना/2022 प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय, जिनमें एकल एवं द्वि-संकाय स्नातक स्तर पर संचालित हैं, को स्नातक स्तर पर जनभागीदारी समिति द्वारा स्ववित्तीय योजना अंतर्गत बहुसंकायी बनाए जाने हेतु आदेश क्रमांक 78-79/168/आउशि/योजना/2022 दिनांक 04.02.2022 जारी किया गया है।

2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 331/1569/2007/2/38-2, दिनांक 18.02.2008 में उल्लेखित कुल 15 बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में जनभागीदारी समिति के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

3. स्वशासी महाविद्यालयों एवं जिला मुख्यालय में संचालित महाविद्यालयों में एन. सी.टी.ई तथा विधि से संबंधित पाठ्यक्रम संचालन के लिए केन्द्रीय नियामक संस्थाओं की अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर स्ववित्तीय आधार पर पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

(दीपक सिंह)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 594 /168/आउशि/योजना/2022 भोपाल, दिनांकः 14 /07/22

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, मा0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (मंत्रालय) भोपाल ।
3. समस्त कुल सचिव.....विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. वि.क.अ. प्रभारी (आई.टी.सेल) की ओर भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त आदेश को अपलोड करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2022/ 1551 दिनांक :-21/7/2022

प्रतिलिपि :-

01. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय,देवास रोड,उज्जैन।
03. उप/सहायक कुलसचिव महोदय,परीक्षा विभाग विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
04. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 04.02.2022

क्रमांक / 78 / 168 / स्व.वि./आउशि/योजना/2022, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 31.01.2022 को प्रदेश के एकल एवं द्वि-संकायी संस्थानों के संबंध में यह निर्देशित किया गया है कि जहां स्नातक स्तर में एकल एवं द्वि-संकाय संचालित हैं, ऐसे शासकीय महाविद्यालयों को बहुसंकायी बनाया जाये।

उच्च शिक्षा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 331 / 1569 / 2007 / 2 / 38, दिनांक 18.02.2008 में जनभागीदारी समितियों द्वारा स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत उल्लेखित 15 बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करने की शर्त के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय कला / वाणिज्य / विज्ञान प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- शासनादेश की प्रति

(दीपक सिंह)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कमांक / 79 / 169 / आउशि / योजना / 2022 भोपाल, दिनांक 04.02.2022

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (मंत्रालय), भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त कुल सचिव, ... विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं धारा 24 (x) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
4. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वि.क.अधि. प्रभारी (आई.टी. सेल) की ओर भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर उक्त को अपलोड करने हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 331 / 1569 / 2007 / 2 / 38 भोपाल, दिनांक 18/2/08

प्रति,
समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषय :–स्ववित्तीय आधार पर व्यसायिक तथा अन्य पाठ्यक्रम प्रांरभ करने बावत्।

संदर्भ :–विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 19–1098 / 38–2 / 2002 दि.4.5.02

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के सारतम्य में जैसा कि आपको विदित ही है कि म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक 183 / 2977 / 2000 / 38–2 दि.05.10.2001 द्वारा स्ववित्तीय आधार पर व्यवसायिक अथवा अन्य पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने का अधिकार संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को दिया गया है।

उपरोक्त संदर्भित आदेश क्रमांक 19–1098 / 38–2 / 2002 दि. / 4.5.02 एवं आदेश क्रमांक 1154 / 1569 / 07 / 2 / 38 दिनांक 27.7.07 में आंशिक संशोधन किया जाता है।

अतः नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

1. जिस नये पाठ्यक्रम खोलने का प्रस्ताव बनाये सुनिश्चित कर ले कि उक्त विषय पर संबंधित विश्वविद्यालय में आर्डिनेन्स पास है उसका अध्यादेश क्रमांक तथा पत्र की छायाप्रति प्राचार्य से प्रमाणित कराये।
2. क्या आपका महाविद्यालय विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 2(f) एवं 12(B) के अन्तर्गत पंजीकृत है ?
3. वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हताऐं क्या होंगी ?
4. वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु क्या प्रक्रिया होगी ? मेरिट के आधार पर या प्रवेश परीक्षा के आधार पर ?
5. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है अथवा किराये का ? उपलब्ध भवन में कितने कमरे है ? साथ ही जो आपके द्वारा नये पाठ्यक्रम खोलने हेतु प्रस्ताव दिया जा रहा है उसके मान से महाविद्यालय में पढ़ाये जाने की पर्याप्त व्यवस्था है अथवा नहीं का उल्लेख करे।
6. यदि महाविद्यालय किराये के भवन में है तो भवन स्वामी का नाम, भुगतान किये जाने वाले किराये की राशि एवं उपलब्ध कमरों की संख्या।
7. वर्तमान में महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के नाम।

2.....

Scanned with CamScanner

8 महाविद्यालय में अधोसंरचना मूलभूत सुविधा कक्ष, फर्नीचर, उपकरण लेब एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध है अथवा नहीं एवं संदिग्ध के आधार पर कितने शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता होगी ?

9 विश्वविद्यालय को कितना संबंधता शुल्क देना होगा ?

10. वांछित विषयों में प्रवेश हेतु स्थान की संख्या एवं शुल्क से कितनी राशि प्राप्त होगी?

11 आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि किस किस प्रयोजन हेतु किस हिसाब से खर्च की जायेगी, का आय एवं व्यय पत्रक ।

12. दो तीन वर्ष पाठ्यक्रम चलाने हेतु संपूर्ण प्रस्ताव बनाकर जनभागीदारी समिति से अनुमति प्राप्त कर ले।

13. जनभागीदारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में चाहे गये पाठ्यक्रमों के नाम तथा उनकी अनुशंसा एवं विस्तृत पाठ्यक्रम जिसमे सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्य हेतु आवश्यक समय के विस्तृत विवरण सहित आवेदन प्रस्तुत करे। स्नातक पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम अर्हता हायर सेकेण्ड्री स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित संकाय में न्यूनतम स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा।

14. जनभागीदारी समिति से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु जनभागीदारी समिति के सम्मुख रखे गये प्रस्ताव तथा जनभागीदारी समिति से प्राप्त अनुमति संलग्न करते हुए आवेदन करे।

15 नये विषय प्रारंभ करने की मांग का औचित्य ।

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित

(डॉ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी)
उपसचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 18-2-08

पृ. क्रमांक 332 /1569/2007/2/38

प्रतिलिपि:

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(डॉ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी)
उपसचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner